राजेन्द्र राठौर

पार्षद, वार्ड क्र. 32
सदस्य महापौर परिषद
प्रभारी : लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

इन्दौर नगर पालिक निगम

निवास :– P-24, पंड़ित दीनदयाल
उपाध्याय नगर
सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.)
मों. : 93293-54144
94245-47000

क्रमांक 449 से 453 दिनांक 17/12/2025

स्मरण–पत्र

प्रति,

1. माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
2. श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल,
4. महापौर, नगर पालिक निगम, इंदौर,
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर,

विषय : मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क की परिधी में शॉपिंग मॉल एवं व्यावसायीक भवनों की अनुज्ञा जारी करने वाले अधिकारियों की विरूद्ध कार्यवाही करने तथा भवन अनुज्ञा निरस्त कराने बाबद।

संदर्भ : पूर्व में प्रेषित पत्र कमांक 400 से 403 दिनांक 19.08.2025.

उपरोक्त विषयांतर्गत इंदौर शहर में मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 23 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा कार्यवाही पूर्ण की जाकर सड़कों का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जाना है।

इन सड़कों में पैकेज कमांक 2 में भमोरी चौराहे से एम.आर.–10 एवं राजशाही गार्डन से होटल वॉव तक सडक् का विकास कार्य 1100 मीटर लंबी तथा 30 मीटर चौड़ी सडक का निर्माण किया जाना है। इस कड़ी में सड़क का अलॉइनमेंट किया जा रहा है, इस दौरान पाया गया कि भमौरी प्लाज़ा से एरोप्लेन स्क्वेयर तक जाने वाले सड़क पर 7 भूखण्डों पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा नगर निगम द्वारा इंदौर विकास योजना–2021 (मास्टर प्लान) के प्रावधानों के परीक्षण किए बिना व्यावसायिक भवनों/शॉपिंग मॉल के भवन निर्माण की अनुज्ञाएं जारी की गई।

घर स्वच्छ, गली स्वच्छ, शहर स्वच्छ, देश स्वच्छ

राजेन्द्र राठौर
पार्षद, वार्ड क्र. 32
सदस्य महापौर परिषद
प्रभारी : लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

निवास :– P-24, पंड़ित दीनदयाल
उपाध्याय नगर
सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.)
मों. : 93293-54144
94245-47000

क्रमांक

दिनांक..................

उक्त अनुज्ञाएं निरस्त करते हुए सड़क में बाधक निर्माण हटाने के लिए मेरे द्वारा पूर्व में संदर्भित पत्र के माध्यम से नगरीय प्रशासन आयुक्त तथा नगर निगम आयुक्त को अवगत कराया था, परंतु इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे सड़क का निर्माण प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भू–स्वामियों से संगनमत होकर, आपसी सांठगांठ कर, कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तावित सड़क की परिधी में व्यावसायीक भवन निर्माण की अनुमतियां जारी की गई है।

मास्टर प्लान अनुसार सड़कों की निर्धारित चौड़ाई घटाकर अधिकारियों द्वारा नक्शे स्वीकृति किए गए और मौके पर कई भवन निर्माण पूर्ण हो गए तथा कुछ निर्माणाधीन है। भमौरी प्लाजा से गिरधर महल एरोप्लेन चौराहा तक भी ऐसी 7 भवन अनुज्ञाएं सामने आई हैं, जो 30 मीटर चौडाई के बजाए 18 मीटर चौड़ाई के मान से स्वीकृत की गई है। इसमें योजना क्रमांक 54 भमोरी मैकेनिक नगर एक्टेंशन के एज्यूर मॉल ए.सी.एस. बिल्ड डेव्हलपर प्रा.लि. श्री अंकित कटारिया द्वारा भूखंड क्रमांक 14, 15, 16 पर भवन निर्मित किया जा रहा है। यह भी तथ्य सामने आये हैं कि नगर तथा ग्राम निवेश के बाद नगर निगम ने 2003 में भूखंडों के संयुक्तिकरण के साथ 2024 में 18 मीटर सड़क चौडाई के मान से अनुमति दी है, जबकि इन्दौर के मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक इस सड़क की चौड़ाई 30 मीटर यानी 100 फीट है। उक्त सड़क में 7 भवन अनुज्ञाएं भमोरी प्लाजा रोड पर स्वीकृत किए गए, जिनमें छोटू नजान एवं शिवप्रसाद तिवारी, भूखंड क्रमांक 10 सोनम गोडखे, भूखंड क्र. 9 राजेश गर्ग, भूखंड क्र. 7 और 8 बलराज, भूखंड क्र. 23 पर मौजूद गिरधर महल एवं मेघदूत टावर पर दी गई अनुमति भी 18 मीटर के मान से जारी की गई है।

मास्टर प्लान की सड़कों की समीक्षा बैठक में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि भमोरी प्लाजा से गिरधर महल तक 7 भवन अनुज्ञाएं जारी कर अधिकारियों और इंजीनियरों ने सड़क चौड़ाई घटाकर स्वीकृत किए गए हैं, जिसपर दोषी अधिकारियों तथा इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं इन 7 नक्शों के अलावा भी शहर में अन्य स्थानों पर मास्टर प्लान की सड़कों पर आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत नक्शे निगम के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किए गए।

घर स्वच्छ, गली स्वच्छ, शहर स्वच्छ, देश स्वच्छ

राजेन्द्र राठौर
पार्षद, वार्ड क्र. 32
सदस्य महापौर परिषद
प्रभारी : लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

निवास :– P-24, पंड़ित दीनदयाल
उपाध्याय नगर
सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.)
मों. : 93293–54144
94245–47000

क्रमांक
दिनांक....................

अतः नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भू–स्वामि से संगनमत होकर, आपसी सांठगांठ कर, कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तावित सड़क की परिधी में व्यावसायीक भवन निर्माण की अनुमति जारी की गई होने से भवन निर्माण अनुज्ञाएं जारी करने वाले नगर निगम अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही कराते हुए 1100 मीटर लंबाई तथा 30 मीटर चौड़ी भमोरी चौराहे से एम.आर.–10 एवं राजशाही गार्डन से होटल वॉव तक मास्टर प्लान के तहत सड़कों के परिधी में जारी की गई उक्त भवन अनुज्ञाएं निरस्त कराई जावें, जिससे सड़क निर्माण पूर्ण किया जा सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रभारी
लोक–निर्माण एवं उद्यान विभाग,
नगर पालिक निगम, इंदौर

घर स्वच्छ, गली स्वच्छ, शहर स्वच्छ, देश स्वच्छ

राजेन्द्र राठौर
पार्षद, वार्ड क्र. 32
सदस्य महापौर परिषद
प्रभारी : लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

निवास :– P-24, पंड़ित दीनदयाल
उपाध्याय नगर
सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.)
मों. : 93293-54144
94245-47000

क्रमांक 400

दिनांक 19/02/2025

प्रति,

श्री कैलाश विजयवर्गीय जी,
माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

विषय : मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क की परिधी में शॉपिंग मॉल एवं व्यावसायीक भवनों की अनुज्ञा जारी करने वाले अधिकारियों की विरूद्ध कार्यवाही करने तथा भवन अनुज्ञा निरस्त कराने बाबद।

उपरोक्त विषयांतर्गत इंदौर शहर में मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 23 सड़कों के निर्माण के लिए निविदा कार्यवाही पूर्ण की जाकर सड़कों का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जाना है। दिनांक 23.01.2025 को आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करने निर्देश दिए थे।

इन सड़कों में पैकेज क्रमांक 2 में भमोरी चौराहे से एम.आर.–10 एवं राजशाही गार्डन से होटल वॉव तक सडक का विकास कार्य 1100 मीटर लंबी तथा 30 मीटर चौड़ी सडक का निर्माण किया जाना है। इस कड़ी में सड़क का अलॉइनमेंट किया जा रहा है, इस दौरान पाया गया कि भमौरी प्लाज़ा से एरोप्लेन स्क्वेयर तक जाने वाले सड़क पर 7 भूखण्डों पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा नगर निगम द्वारा इंदौर विकास योजना–2021 (मास्टर प्लान) के प्रावधानों के परीक्षण किए बिना व्यावसायिक भवनों/शॉपिंग मॉल के भवन निर्माण की अनुज्ञाएं जारी की गई।

मास्टर प्लान अनुसार सड़कों की निर्धारित चौड़ाई घटाकर अधिकारियों द्वारा नक्शे स्वीकृति किए गए और मौके पर कई भवन निर्माण पूर्ण हो गए तथा कुछ निर्माणाधीन है। भमौरी प्लाजा से गिरधर महल एरोप्लेन चौराहा तक भी ऐसी 7 भवन अनुज्ञाएं सामने आई हैं, जो 30 मीटर चौडाई के बजाए 18 मीटर चौड़ाई के मान से स्वीकृत की गई है। इसमें योजना क्रमांक 54 भमोरी मैकेनिक नगर एक्टेंशन के एज्यूर मॉल ए.सी.एस. बिल्ड डेव्हलपर प्रा.लि. श्री अंकित कटारिया द्वारा भूखंड क्रमांक 14, 15, 16 पर भवन निर्मित किया जा रहा है। यह भी

राजेन्द्र राठौर
पार्षद, वार्ड क्र. 32
सदस्य महापौर परिषद
प्रभारी : लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

निवास :– P-24, पंड़ित दीनदयाल
उपाध्याय नगर
सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.)
मों. : 93293-54144
94245-47000

क्रमांक दिनांक..................

तथ्य सामने आये हैं कि नगर तथा ग्राम निवेश के बाद नगर निगम ने 2003 में भूखंडों के संयुक्तिकरण के साथ 2024 में 18 मीटर सड़क चौडाई के मान से अनुमति दी है, जबकि इन्दौर के मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक इस सड़क की चौड़ाई 30 मीटर यानी 100 फीट है। उक्त सडक में 7 भवन अनुज्ञाएं भमोरी प्लाजा रोड पर स्वीकृत किए गए, जिनमें छोटू नजान एवं शिवप्रसाद तिवारी, भूखंड क्रमांक 10 सोनम गोडखे, भूखंड क्र. 9 राजेश गर्ग, भूखंड क्र. 7 और 8 बलराज, भूखंड क्र. 23 पर मौजूद गिरधर महल पर दी गई अनुमति भी 18 मीटर के मान से जारी की गई है, वहीं मेघदूत टावर नामक बिल्डिंग भी इसी तरह अवैध बनी है।

महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव द्वारा दिनांक 01.08.2025 को इंदौर शहर की सड़कों के साथ मास्टर प्लान की सडकों की समीक्षा बैठक में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि भमोरी प्लाजा से गिरधर महल तक 7 भवन अनुज्ञाएं जारी कर अधिकारियों और इंजीनियरों ने सड़क चौड़ाई घटाकर स्वीकृत किए गए हैं, जिसपर दोषी अधिकारियों तथा इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं इन 7 नक्शों के अलावा भी शहर में अन्य स्थानों पर मास्टर प्लान की सड़कों पर आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत नक्शे निगम के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार एक अन्य स्थान कुमेडी एम.आर.–10 टोल के पास प्रस्तावित मास्टर प्लान की सड़क का अलॉइनमेंट बदलते हुए सड़क को मोड़ देकर शॉपिंग मॉल के भवन निर्माण की अनुज्ञा जारी की गई। छोटा बांगड़दा, पंचशील नगर में प्रस्तावित मास्टर प्लान की सड़क सीमा में सामुदायीक भवन, शासकीय स्कूल, संजीवनी क्लिनिक की स्वीकृति दी जाकर निर्माण कार्य कराए गए, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पत्रों के माध्यम से अवगत कराते हुए कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है।

मास्टर प्लान भूमि उपयोग मुख्य क्षेत्र में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग को दर्शाता है, जिसमें प्रमुख रूप से सड़क, आवास, वाणिज्य, स्कूल आदि के लिए भूमि के उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है, परंतु नगर निगम अधिकारियों द्वारा मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क को अनदेखा कर भवन निर्माण अनुज्ञाएं जारी की गई हैं।

नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भू–स्वामि से संगनमत होकर, आपसी सांठगांठ कर, कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तावित सड़क की परिधी में व्यावसायीक भवन निर्माण की अनुमति जारी की गई है। अतः भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले नगर निगम अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही कराते हुए 1100 मीटर लंबाई तथा 30 मीटर चौड़ी भमोरी चौराहे से एम.आर.–10 एवं राजशाही गार्डन से होटल वॉव तक मास्टर

जेन्द्र राठौर

पार्षद, वार्ड क्र. 32
सदस्य महापौर परिषद
प्रभारी : लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

निवास :– P-24, पंडित दीनदयाल
उपाध्याय नगर
सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.)
मो. : 93293-54144
94245-47000

क्रमांक

दिनांक...................

प्लान के तहत सड़क के परिधि में जारी की गई उक्त भवन अनुज्ञाएं निरस्त कराने का अनुरोध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रभारी
लोक–निर्माण एवं उद्यान विभाग,
नगर पालिक निगम, इंदौर

प्रतिलिपी :

401 1. महापौर, नगर पालिक निगम, इंदौर.
402 2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र.भोपाल.
403 3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर.

19/08/2025

घर स्वच्छ, गली स्वच्छ, शहर स्वच्छ, देश स्वच्छ

भमौरी प्लाजा से एरोप्लेन स्क्वेयर तक मास्टर प्लान चौड़ाई 30 मी. में सड़क का निर्माण

मौके पर 18 मी.चौडाई के मान से जारी टी.एन.सी.पी./भवन अनुज्ञा अनुमति की स्थिति निम्नानुसार है:-

भमौरी प्लाजा से एरोप्लन स्क्वेयर तक इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा मेकेनिक नगर एक्सटेन्शन, स्कीम नं. 54 बनाई गई, टी.एन.सी.पी. द्वारा अनुमोदित स्कीम के प्लान अनुसार 18 मी. सड़क की चौड़ाई दर्शित की गई। इन्दौर विकास योजना-2021 (वर्ष 2008 में जारी) में उक्त सड़क की चौड़ाई 30 मी. दर्शित की गई।

क्रमांक	मकान मालिक का नाम	पता	मोबाईल नं.	भूखण्ड की अद्यतन स्थिति
1	3	4	5	6
1	भमोरी प्लाजा, लीज धारक श्री छोटु नजान एवं श्री शिवप्रसाद तिवारी	मेकेनिक नगर एक्सटेन्शन, स्कीम नं. 54, भमोरी प्लाजा रोड़	9302119571	मौके पर बहुमंजिला भवन निर्मित है।
2	सोनम गोड़खे – भूखण्ड क्र.– 10	मेकेनिक नगर एक्सटेन्शन, स्कीम नं. 54, भमोरी प्लाजा रोड़	9425313360	मौके पर भू-खण्ड रिक्त है।
3	राजेश गर्ग, भूखण्ड क्र. 9	मेकेनिक नगर एक्सटेन्शन, स्कीम नं. 54, भमोरी प्लाजा रोड़	9425056167	मौके पर भू-खण्ड रिक्त है।
4	बलराज बी जोन भूखण्ड क्र. 7-8	मेकेनिक नगर एक्सटेन्शन, स्कीम नं. 54, भमोरी प्लाजा रोड़	9424051411	मौके पर भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
5	गिरधर महल-भूखण्ड क्रं. 23	मेकेनिक नगर एक्सटेन्शन, स्कीम नं. 54, भमोरी प्लाजा रोड़		वर्ष 2001 में भवन अनुज्ञा जारी की गई।
6	मेघदूत टावर	मेकेनिक नगर एक्सटेन्शन, स्कीम नं. 54, भमोरी प्लाजा रोड़		मौके पर बहुमंजिला भवन निर्मित है।
7	एज्यूर मॉल एस.सी.एस बिल्ड डेव्हलपर प्रा.लि. श्री अंकित कटारिया भूखण्ड क्र. 14, 15, 16	मेकेनिक नगर एक्सटेन्शन, स्कीम नं. 54, भमोरी प्लाजा रोड़		मौके पर भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है।